

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी- अनिल कुमार, आर.ए.एस.

सुप्यारदेवी आदि

बनाम

रुघाराम आदि

दावा बाबत बंटवारा, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 60/2014

निर्णय दिनांक- 10.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी
रुबरु मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार,
लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 26 रकबा 1.80 हैक्टेयर
जिसके नये खसरा सं. 42 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा सं. 43 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा सं. 44 रकबा
1.78 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर तथा खसरा सं. 27 रकबा 1.74 हैक्टेयर जिसके
नये खसरा सं. 45 रकबा 1.74 हैक्टेयर वाके ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम
डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. रुघाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट सा. देह राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	43	0.01 हैक्टेयर	गै.मु.	-
	44 मीन	1.57 हैक्टेयर	चाही 3	26.69
	45 मीन	0.54 हैक्टेयर	बा.1	3.78
	किता 3	2.12 हैक्टेयर	-	30.47
2. सुप्यारदेवी पत्नी स्व. सुल्तानसिंह हि. 7/16 सुरेश पुत्र सुल्तानसिंह हि. 3/16 राहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन सुमित्रा संजय पित्र सुल्तानसिंह हि. 3/8 जाति जाट सा. देह	42	0.01 हैक्टेयर	गै.मु.चाह	-
	44 मीन	0.21 हैक्टेयर	चाही 3	3.57
	45 मीन	1.20 हैक्टेयर	बा.1	8.40
	किता 3	1.30 हैक्टेयर	-	11.97

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा।
उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से
अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर
राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में
इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह
.... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तकको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2018 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प- नरोदड़ा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प- नरोदड़ा

10.05.2018	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत— न्याय आपके द्वार— 2018 के तहत आयोजित कैम्प नरोदड़ा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/रा.लो.अ./2018/83 दिनांक 10.01.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 26 रकबा 1.80 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 42 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा सं. 43 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा सं. 44 रकबा 1.78 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर तथा खसरा सं. 27 रकबा 1.74 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 45 रकबा 1.74 हैक्टेयर वाके ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं—</p> <table border="1" data-bbox="386 801 1354 1158"> <thead> <tr> <th>खातेदार का नाम</th> <th>खसरा सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1. रूघाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट सा. देह सहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन</td> <td>43</td> <td>0.01 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>44 मीन</td> <td>1.57 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>45 मीन</td> <td>0.54 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>किता 3</td> <td>2.12 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2. सुप्यारदेवी पत्नी स्व. सुल्तानसिंह हि. 7/16 सुरेश पुत्र सुल्तानसिंह हि. 3/16 सहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन सुमित्रा सजय पित्र सुल्तानसिंह हि. 3/8 जाति जाट सा. देह</td> <td>42</td> <td>0.01 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>44 मीन</td> <td>0.21 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>45 मीन</td> <td>1.20 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>किता 3</td> <td>1.30 हैक्टेयर</td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावे। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दपतर अभिलेखागार हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)</p>	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	1. रूघाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट सा. देह सहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	43	0.01 हैक्टेयर	44 मीन	1.57 हैक्टेयर	45 मीन	0.54 हैक्टेयर	किता 3	2.12 हैक्टेयर	2. सुप्यारदेवी पत्नी स्व. सुल्तानसिंह हि. 7/16 सुरेश पुत्र सुल्तानसिंह हि. 3/16 सहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन सुमित्रा सजय पित्र सुल्तानसिंह हि. 3/8 जाति जाट सा. देह	42	0.01 हैक्टेयर	44 मीन	0.21 हैक्टेयर	45 मीन	1.20 हैक्टेयर	किता 3	1.30 हैक्टेयर	
खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा																					
1. रूघाराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट सा. देह सहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन	43	0.01 हैक्टेयर																					
	44 मीन	1.57 हैक्टेयर																					
	45 मीन	0.54 हैक्टेयर																					
	किता 3	2.12 हैक्टेयर																					
2. सुप्यारदेवी पत्नी स्व. सुल्तानसिंह हि. 7/16 सुरेश पुत्र सुल्तानसिंह हि. 3/16 सहिन इलाहाबाद बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ मूर्तहीन सुमित्रा सजय पित्र सुल्तानसिंह हि. 3/8 जाति जाट सा. देह	42	0.01 हैक्टेयर																					
	44 मीन	0.21 हैक्टेयर																					
	45 मीन	1.20 हैक्टेयर																					
	किता 3	1.30 हैक्टेयर																					